

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 01 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपाए) एवं 01 आंशिक निःशक्तता के मामले में ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपाए) अर्थात् कुल राशि ₹ 67500/- (सड़सठ हजार पाँच सौ रूपाए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम(संबंध)/दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का घड़ीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रामबोल यादव, 30, श्री नूतूलाल यादव, पि० वर्ग	स्वयं	531/22.12. 2017	ग्रा०-साहुगढ़ दिवानीटोला, वार्ड नं० 12, पो०-साहुगढ़, प्र०+जि०-मधेपुरा	1535104 0000199 56	आई०डी०बी०आई० बैंक, साहुगढ़, भगवानपुर 2, मधेपुरा IBKL0001535	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपाए)	आंशिक निःशक्तता, कृषि मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० कुमोद साह, श्री सिकेन्द्र साह, पि० वर्ग	श्रीमती शांति देवी(पत्नी)	113/10.3. 2018	ग्रा०-बुधमा, पो०-खाड़ा, वार्ड नं० 04, प्र०-उदाकिशुनगंज, मधेपुरा	3654734 6383	भारतीय स्टेट बैंक, खुरहान, SBIN0008570	₹ 30000/- (तीस हजार रूपाए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक का कार्य

कुल :- ₹ 67500/-

(सड़सठ हजार पाँच सौ रूपाए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-32/2018 के पृष्ठ-7/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-32/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/


(राम रूप प्रसाद)  
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-32/2018-५११

पटना, दिनांक :- 26-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ

प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 67500/- (सड़सठ हजार पाँच सौ रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(राम रूप प्रसाद)  
कार्यकारी निदेशक।